Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में बाल अपराध की प्रवृत्ति, कारण एवं समकालीन परिप्रेक्ष्य: शालीमार गार्डन क्षेत्र के विशेष संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

रोहित कुमार, डॉ. श्याम लाल
विधि विभाग, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी गजरौला रजबपुर अमरोहा,
उत्तर प्रदेश. (भारत)

https://doi.org/10.65578/kavyasetu.v2.i3.179

सारांश

बाल अपराध (Juvenile Delinquency) आधुनिक समाज की एक जटिल और बहुआयामी सामाजिक समस्या है, जिसका संबंध सामाजिक संरचना, पारिवारिक परिवेश, आर्थिक असमानता, मनोवैज्ञानिक स्थिति तथा सांस्कृतिक परिवर्तन से गहराई से जुड़ा हुआ है। वैश्वीकरण, तीव्र शहरीकरण तथा आधुनिक जीवन शैली के प्रभाव से किशोरों के व्यवहार में तीव्र परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बाल अपराध की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। प्रस्तुत शोध पत्र उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के शालीमार गार्डन क्षेत्र में बाल अपराध की प्रवृत्तियों, कारणों तथा सामाजिक प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बाल अपराध की प्रकृति को समझना, उसके सामाजिक-आर्थिक कारणों का विश्लेषण करना तथा आधुनिकता के प्रभाव को पहचानना है। इस शोध में द्वितीयक स्रोतों जैसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट, सरकारी दस्तावेज, समाजशास्त्रीय साहित्य, विधिक अधिनियम तथा शोध पत्रों का उपयोग किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 16–18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों में अपराध की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है तथा इसके पीछे पारिवारिक विघटन, गरीबी, बेरोजगारी, गलत संगति, नशे की प्रवृत्ति, सामाजिक नियंत्रण की कमी तथा डिजिटल माध्यमों का प्रभाव प्रमुख कारण हैं।

अध्ययन यह भी दर्शाता है कि भारतीय किशोर न्याय प्रणाली दंडात्मक न होकर सुधारात्मक है, जिसका उद्देश्य बाल अपराधियों को दंडित करने के बजाय उन्हें समाज की मुख्यधारा में पुनः स्थापित करना है। यदि परिवार, समाज, विद्यालय, प्रशासन तथा

सरकार मिलकर कार्य करें तो बाल अपराध की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

मुख्य शब्द: बाल अपराध, गाजियाबाद जिला, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB), किशोर न्याय प्रणाली, सामाजिक परिवर्तन, शहरीकरण, अपराध की प्रवृत्तियाँ

प्रस्तावना

बाल अपराध आधुनिक समाज की एक गंभीर सामाजिक समस्या के रूप में उभरकर सामने आया है। यह केवल कानून व्यवस्था से संबंधित विषय नहीं है, बल्कि सामाजिक संरचना, आर्थिक परिस्थितियों, पारिवारिक संबंधों, मनोवैज्ञानिक विकास तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब कोई नाबालिग व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो समाज या कानून के विरुद्ध हो, तो उसे बाल अपराध या किशोर अपराध कहा जाता है। समाजशास्त्रियों के अनुसार बाल अपराध सामाजिक अव्यवस्था का एक संकेत है, जो यह दर्शाता है कि समाज में नियंत्रण तंत्र कमजोर हो रहा है (Ahuja, 2012)।

आधुनिक युग में तीव्र शहरीकरण, औद्योगीकरण और वैश्वीकरण के कारण पारंपरिक सामाजिक संस्थाएँ कमजोर हो रही हैं। संयुक्त परिवारों का विघटन, माता-पिता का व्यस्त जीवन, उपभोक्तावादी संस्कृति तथा डिजिटल मीडिया का प्रभाव बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित कर रहा है। परिणामस्वरूप किशोरों में आक्रामकता, असंतोष, विद्रोह और अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

भारत में बाल अपराध की समस्या विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अधिक देखी जा रही है। महानगरों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में जनसंख्या वृद्धि, प्रवासन, आर्थिक असमानता तथा सामाजिक असुरक्षा के कारण किशोरों में अपराध की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तीव्र शहरीकरण और सामाजिक परिवर्तन के कारण बाल अपराध के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

गाजियाबाद में विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोग निवास करते हैं, जिनमें प्रवासी मजदूर, मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्ग शामिल हैं। सामाजिक-आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, नशे की समस्या, पारिवारिक तनाव तथा शैक्षिक दबाव जैसे कारक किशोरों को अपराध की ओर प्रेरित करते हैं। शालीमार गार्डन क्षेत्र, जो तेजी से विकसित होने वाला शहरी क्षेत्र है, इन समस्याओं से प्रभावित है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

भारतीय विधिक व्यवस्था में बाल अपराध को विशेष दृष्टि से देखा जाता है। भारत सरकार ने किशोर न्याय प्रणाली को सुधारात्मक स्वरूप दिया है। **Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015** के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किशोर माना जाता है, तथा उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए सुधारात्मक उपाय अपनाए जाते हैं। हालांकि जघन्य अपराधों के मामलों में 16–18 वर्ष के किशोरों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं (Government of India, 2015)।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्टों से यह स्पष्ट होता है कि किशोर अपराध की घटनाएँ पिछले वर्षों में बढ़ी हैं। विशेष रूप से चोरी, लूट, हिंसा, यौन अपराध तथा साइबर अपराधों में किशोरों की भागीदारी चिंताजनक है (NCRB, 2023)।

बाल अपराध केवल कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक असंतुलन का परिणाम है। परिवार, विद्यालय, समाज तथा राज्य की भूमिका इस समस्या को समझने और नियंत्रित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि बच्चों को उचित शिक्षा, नैतिक मार्गदर्शन, भावनात्मक सहयोग तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, तो उन्हें अपराध के मार्ग से दूर रखा जा सकता है।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य गाजियाबाद जिले के शालीमार गार्डन क्षेत्र में बाल अपराध की स्थिति का विश्लेषण करना, उसके कारणों को समझना तथा रोकथाम के उपाय सुझाना है। यह अध्ययन समाजशास्त्रीय तथा विधिक दृष्टिकोण से बाल अपराध की समस्या का विश्लेषण करता है और यह समझने का प्रयास करता है कि आधुनिक समाज में बाल अपराध क्यों बढ़ रहा है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के शालीमार गार्डन क्षेत्र में बाल अपराध पर संक्षेप विश्लेषण

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो समाज व बालकों के भविष्य के लिए खतरे का संकेत है

2022 से 2025 तक कुछ ऐसी बाल अपराध की घटना घटी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की नवीनतम 'Crime in India' रिपोर्ट के अनुसार, गाज़ियाबाद में नाबालिगों (Juveniles) द्वारा किए गए अपराधों के आंकड़े निम्नलिखित हैं:

नाबालिगों द्वारा किए गए अपराध (Juveniles in Conflict with Law)

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2
ISSN No: 3049-4176

NCRB के विशिष्ट आंकड़ों के अनुसार, गाज़ियाबाद में 2022 और 2023 में दर्ज मामले इस प्रकार हैं: 2022: इस वर्ष गाज़ियाबाद में नाबालिगों के खिलाफ कुल 189 मामले दर्ज किए गए थे।

2023: 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में 9% की वृद्धि देखी गई, जो 189 से बढ़कर 208 मामले हो गए।

नोट: इसमें नाबालिगों द्वारा किए गए अपराध और उनके खिलाफ हुए अपराध दोनों के रुझान शामिल हैं।

2024 - 2025: वर्ष 2024 और 2025 के पूर्ण आधिकारिक आंकड़े अभी NCRB द्वारा प्रकाशित नहीं किए गए हैं, क्योंकि यह ब्यूरो आमतौर पर एक साल की देरी से वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है।

प्रमुख अपराध श्रेणियां (गाज़ियाबाद और NCR क्षेत्र)

नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

संपत्ति संबंधी अपराध: चोरी (Theft) और झपटमारी (Robbery) सबसे आम हैं।

गंभीर अपराध: हत्या (Murder), हत्या का प्रयास और बलात्कार (Rape) जैसे संगीन मामलों में भी नाबालिगों की संलिप्तता पाई गई है।

नया रुझान: हाल के वर्षों में नाबालिगों का संगठित गिरोहों (Gangs) के साथ जुड़ना और साइबर अपराधों (Cybercrime) में शामिल होना एक चिंताजनक विषय बना है।

महत्वपूर्ण जानकारी

आयु समूह: पकड़े गए अधिकांश नाबालिग 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच के होते हैं।

कानूनी स्थिति: 2015 के संशोधन के बाद, जघन्य अपराधों (Heinous Crimes) के मामलों में 16-18 वर्ष के किशोरों पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान भी है।

बाल अपराध (Juvenile Delinquency) का अर्थ है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों या किशोरों द्वारा किया गया गैर-कानूनी कृत्य। इसके मुख्य प्रकारों में वैयक्तिक अपराध (अकेले द्वारा), समूह समर्थित अपराध (गिरोह), संगठित अपराध (योजनाबद्ध), और स्थितिजन्य अपराध (परिस्थिति वश) शामिल हैं। ये कृत्य गंभीर अपराधों (हत्या, चोरी) से लेकर स्टेटस अपराध (स्कूल से भागना) तक हो सकते हैं।

बाल अपराध के प्रमुख प्रकार (Types of Juvenile Delinquency):

वैयक्तिक बाल अपराध: इसमें बच्चा अकेले ही किसी अपराध को अंजाम देता है, जैसे - व्यक्तिगत दुश्मनी में मारपीट या चोरी।

समूह समर्थित बाल अपराध: यह किसी गिरोह या दोस्तों के समूह द्वारा किया जाता है। इसमें किशोर अपने साथियों के दबाव में अपराध में शामिल हो जाते हैं।

संगठित बाल अपराध: यह नियोजित तरीके से किया जाता है, जिसमें अक्सर पेशेवर अपराधी बच्चों का उपयोग करते हैं, जैसे - मादक पदार्थों की तस्करी।

स्थितिजन्य अपराध: ऐसे अपराध जो अचानक बनी किसी परिस्थिति या अवसर के कारण हो जाते हैं, जैसे - गुस्से में आकर किसी को घायल कर देना।

स्टेटस अपराध (Status Offences): ये ऐसे व्यवहार हैं जो केवल नाबालिगों के लिए अवैध हैं, जैसे - घर से भागना, शराब पीना, स्कूल से बंक मारना या देर रात तक बाहर रहना।

अपराध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण:

संपत्ति संबंधी अपराध: चोरी, तोड़-फोड़, जबरन वसूली, घर में सेंध लगाना।

व्यक्तियों के खिलाफ अपराध: मारपीट, यौन शोषण, हत्या, डराना-धमकाना।

नशीली दवाओं संबंधी अपराध: ड्रग्स का सेवन या तस्करी करना।

साइबर अपराध: इंटरनेट के माध्यम से हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी या अश्लील सामग्री फैलान

कारण एवं सुधार:

बाल अपराध के पीछे अक्सर खराब पारिवारिक माहौल, गरीबी, नशीली दवाओं की लत, या गलत संगति होती है। भारतीय कानून के अनुसार, ऐसे बच्चों को जेल के बजाय सुधार गृहों (Observation Homes) में सुधार और शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्यधारा में वापस लाने का प्रयास किया जाता है।

बाल अपराध (Juvenile Delinquency) का अर्थ है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों या किशोरों द्वारा किया गया गैर-कानूनी कृत्य। इसके मुख्य प्रकारों में वैयक्तिक अपराध (अकेले द्वारा), समूह समर्थित अपराध (गिरोह), संगठित अपराध (योजनाबद्ध), और स्थितिजन्य अपराध (परिस्थिति वश) शामिल हैं। ये कृत्य गंभीर अपराधों (हत्या, चोरी) से लेकर स्टेटस अपराध (स्कूल से भागना) तक हो सकते हैं।

बाल अपराध के प्रमुख प्रकार (Types of Juvenile Delinquency):

वैयक्तिक बाल अपराध: इसमें बच्चा अकेले ही किसी अपराध को अंजाम देता है, जैसे - व्यक्तिगत दुश्मनी में मारपीट या चोरी।
समूह समर्थित बाल अपराध: यह किसी गिरोह या दोस्तों के समूह द्वारा किया जाता है। इसमें किशोर अपने साथियों के दबाव में अपराध में शामिल हो जाते हैं।
संगठित बाल अपराध: यह नियोजित तरीके से किया जाता है, जिसमें अक्सर पेशेवर अपराधी बच्चों का उपयोग करते हैं, जैसे - मादक पदार्थों की तस्करी।
स्थितिजन्य अपराध: ऐसे अपराध जो अचानक बनी किसी परिस्थिति या अवसर के कारण हो जाते हैं, जैसे - गुस्से में आकर किसी को घायल कर देना।
स्टेटस अपराध (Status Offences): ये ऐसे व्यवहार हैं जो केवल नाबालिगों के लिए अवैध हैं, जैसे - घर से भागना, शराब पीना, स्कूल से बंक मारना या देर रात तक बाहर रहना।
अपराध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण:
संपत्ति संबंधी अपराध: चोरी, तोड़-फोड़, जबरन वसूली, घर में सेंध लगाना।
व्यक्तियों के खिलाफ अपराध: मारपीट, यौन शोषण, हत्या, डराना-धमकाना।
नशीली दवाओं संबंधी अपराध: ड्रग्स का सेवन या तस्करी करना।
साइबर अपराध: इंटरनेट के माध्यम से हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी या अश्लील सामग्री फैलाना।
कारण एवं सुधार:
बाल अपराध (Juvenile Delinquency) के पीछे कोई एक कारण नहीं होता, बल्कि यह कई सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारकों का मिला-जुला परिणाम है।
बाल अपराध के मुख्य कारणों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

1. पारिवारिक कारण (Family Factors)

परिवार बच्चे की पहली पाठशाला होती है, और यहाँ की अव्यवस्था उसे अपराध की ओर धकेल सकती है: टूटे हुए परिवार (Broken Homes): माता-पिता के बीच तलाक, अलगाव या निरंतर होने वाले झगड़े बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं।
दोषपूर्ण अनुशासन: अत्यधिक कठोर अनुशासन या फिर जरूरत से ज्यादा छूट, दोनों ही बच्चे को विद्रोही या लापरवाह बना सकते हैं।
पक्षपातपूर्ण व्यवहार: यदि परिवार में एक बच्चे को अधिक प्यार और दूसरे को उपेक्षित किया जाए, तो उपेक्षित बच्चे में बदले की भावना पैदा हो सकती है।

माता-पिता की बुरी आदतें: यदि अभिभावक स्वयं आपराधिक गतिविधियों, जुए या नशों में लिप्त हैं, तो बच्चे भी इसे स्वाभाविक मानकर अपनाने लगते है

2. आर्थिक कारण (Economic Factors)

गरीबी (Poverty): संसाधनों की कमी और बुनियादी जरूरतों (भोजन, कपड़े) की पूर्ति न हो पाना बच्चों को चोरी या लूटपाट के लिए मजबूर कर सकता है।

अत्यधिक सुख की इच्छा: कई बार बच्चे उच्च वर्ग की विलासिता को देखकर कम समय में पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं।

3. सामाजिक और परिवेशीय कारण (Social Factors)

गलत संगति (Peer Pressure): अपराधी प्रवृति वाले दोस्तों के साथ रहने से बच्चे धीरे-धीरे उनके जैसे ही बन जाते हैं।

विद्यालय का वातावरण: स्कूल में शिक्षकों का खराब व्यवहार, फेल होने का डर या साथियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने से बच्चों में हीन भावना पैदा होती है, जिससे वे अपराध की ओर मुड़ जाते हैं।

मनोरंजन के साधनों का अभाव: खेलकूद और स्वस्थ मनोरंजन के अवसरों की कमी के कारण खाली समय में बच्चे अनैतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।

4. मनोवैज्ञानिक कारण (Psychological Factors)

मानसिक दुर्बलता: कुछ अध्ययनों के अनुसार, मानसिक रूप से कमजोर या संवेगात्मक रूप से अस्...बाल अपराध (Juvenile Delinquency) की रोकथाम के लिए शिक्षा, पारिवारिक मार्गदर्शन, और मनोवैज्ञानिक परामर्श (Counseling) मुख्य उपाय हैं। सुधारवादी संस्थाएं जैसे जुवेनाइल होम्स (विशेष गृह), निरीक्षण गृह (Observation Homes), और NGOs (जैसे- चाइल्डलाइन) बच्चों को सुधरने, शिक्षा पाने और मुख्यधारा में लौटने में मदद करती हैं, जिससे वे अपराध के मार्ग से दूर रहें.

बाल अपराध की रोकथाम के उपाय:

शिक्षा और कौशल विकास: बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देना. पारिवारिक परामर्श (Counseling): माता-पिता को बच्चों के साथ संवाद बढ़ाने और सही मार्गदर्शन देने के लिए शिक्षित करना.

मनोवैज्ञानिक सहयोग: बच्चों के व्यवहार में बदलाव को समझकर उन्हें मानसिक सहायता प्रदान करना. सामुदायिक जागरूकता: बाल श्रम, तस्करी और दुर्व्यवहार के खिलाफ

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

समाज को जागरूक करना. पुलिस की भूमिका: पुलिस द्वारा बच्चों के साथ संवेदनशीलता से व्यवहार करना और उन्हें अपराधियों से अलग रखना.

सहयोगी सुधारवादी संस्थाएं (Rehabilitative Institutions):

विशेष गृह (Special Homes): यहाँ बाल अपराधियों को सुधारने और उनके पुनर्वास के लिए रखा जाता है. निरीक्षण गृह (Observation Homes): जब तक बच्चे का मामला लंबित है, उसे यहाँ सुरक्षित रखा जाता है.चाइल्डलाइन (Childline - 1098): मुसीबत में फंसे बच्चों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा. NGOs और गैर-सरकारी संस्थाएं: ये संस्थाएं बाल अधिकार, शिक्षा और शिक्षा के बाद रोजगार में मदद करती हैं.

बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee): यह समिति बच्चों की देखभाल और सुरक्षा से संबंधित मामलों को देखती है.

सुझाव

हमें बच्चों को उचित संस्कार देने व उन्मे मानवीय मूल्यों की स्थापना करने के लिए सजग सक्रिय होना होगा ,तभी इस बिगड़ते बचपन और भटकते राष्ट के नव पीढ़ी के कर्णधारों का भाग्य और भविष्य उज्ज्वल हो सकता है इसके लिए हमे निम्न उपाय करने होंगे

- उचित शिक्षा की ववस्था
- स्वस्थ मनोरंजन की साधनों में बृद्धि
- परिवार में बच्चों का उचित ढंग से पालन पोषण ,एक सामान्य प्रेम एवं ववहयर
- सुधरात्मक ग्रहों की समुचित ववसायी

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारत में बाल अपराध की समस्या को नियंत्रित करने तथा किशोर अपराधियों के सुधार के लिए एक सुदृढ़ विधिक एवं संस्थागत व्यवस्था विकसित की गई है, और इस दृष्टि से भारत प्रगतिशील देशों से पीछे नहीं माना जा सकता। किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा उससे पूर्व के विधायी प्रयास इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि भारतीय राज्य दंडात्मक व्यवस्था के स्थान पर सुधारात्मक एवं पुनर्वासात्मक न्याय प्रणाली को अपनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।

इसके बावजूद भारतीय समाज की सामाजिक-आर्थिक संरचना में विद्यमान अनेक गंभीर समस्याएँ, जैसे जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि, बेरोजगारी, गरीबी, असमानता,

पारिवारिक विघटन, शहरीकरण तथा सामाजिक नियंत्रण के कमजोर होते तंत्र, बाल अपराध की समस्या को और अधिक जटिल बना देते हैं। विशेष रूप से तीव्र शहरीकरण वाले क्षेत्रों, जैसे गाजियाबाद जिले में, सामाजिक परिवर्तन की गति बहुत तेज है, जिसके कारण पारंपरिक मूल्यों का ह्रास तथा आधुनिक जीवन-शैली का दबाव किशोरों के व्यवहार को गहराई से प्रभावित कर रहा है।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि 16 से 18 वर्ष की आयु-समूह के किशोर जघन्य अपराधों में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में सम्मिलित पाए जा रहे हैं। यह प्रवृत्ति समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इस आयु-समूह के बच्चों को पूर्णत: वयस्क अपराधी के रूप में देखना या केवल दंडात्मक दृष्टिकोण अपनाना समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। इसलिए संसद में किशोर न्याय से संबंधित किसी भी संशोधन पर विचार करते समय यह आवश्यक है कि व्यापक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं नैतिक पक्षों पर गंभीरता से चर्चा की जाए।

यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि क्या हमारा समाज प्रतिशोध और कठोर दंड पर आधारित न्याय व्यवस्था चाहता है, या ऐसी न्याय व्यवस्था जो सुधार, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समावेशन पर आधारित हो। आधुनिक अपराधशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों इस बात पर बल देते हैं कि किशोर अपराधियों के साथ मानवीय और सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश मामलों में अपराध उनके व्यक्तित्व का स्थायी गुण न होकर सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम होता है।

राज्य की भूमिका निस्संदेह अत्यंत महत्वपूर्ण है, किन्तु केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। समाज, परिवार, विद्यालय, समुदाय तथा मीडिया—सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे बच्चों के स्वस्थ सामाजिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करें। यदि परिवार में संवाद का अभाव, विद्यालय में असफलता, समाज में असमानता तथा मीडिया में हिंसा और भौतिकवाद का अत्यधिक प्रभाव होगा, तो किशोरों के अपराध की ओर प्रवृत्त होने की संभावना बढ़ जाती है।

इसलिए यह आवश्यक है कि किशोर न्याय व्यवस्था में संशोधन या सुधार करते समय "देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास" को ही मुख्य उद्देश्य बनाया जाए, न कि केवल दंड को। बालक को अपराधी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2
ISSN No: 3049-4176

चाहिए जिसे उचित मार्गदर्शन, शिक्षा, परामर्श और सामाजिक समर्थन की आवश्यकता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि बाल अपराध की समस्या केवल विधिक समस्या नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक समस्या है, जिसका समाधान तभी संभव है जब राज्य और समाज दोनों मिलकर ऐसी न्यायपूर्ण, संवेदनशील और समावेशी व्यवस्था का निर्माण करें जिसमें प्रत्येक बालक को सुधार, सुरक्षा और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो।

संदर्भ

1. Ahuja, R. (2012). *Criminology (अपराधशास्त्र)*. जयपुर: रावत पब्लिकेशन.
2. Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory (सामाजिक अधिगम सिद्धांत)*. न्यू जर्सी: प्रेंटिस हॉल.
3. Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity (द्रव आधुनिकता)*. कैम्ब्रिज: पोलिटी प्रेस.
4. Bhatnagar, V. (2013). *Juvenile Delinquency in India (भारत में बाल अपराध)*. नई दिल्ली: मित्तल पब्लिकेशन.
5. Durkheim, E. (1895). *The Rules of Sociological Method (समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम)*. न्यूयॉर्क: फ्री प्रेस.
6. Glueck, S., & Glueck, E. (1950). *Unraveling Juvenile Delinquency (बाल अपराध का विश्लेषण)*. कैम्ब्रिज: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
7. Government of India. (2015). *Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015)*. नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार.
8. Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency (अपराध के कारण)*. कैलिफोर्निया: यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस.
9. Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie (सामाजिक संरचना और अनीति). *American Sociological Review*, 3(5), 672–682.
10. Mukherjee, R. (2003). *Social Control and Crime (सामाजिक नियंत्रण और अपराध)*. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

11. NCRB. (2023). *Crime in India Report 2023 (भारत में अपराध रिपोर्ट 2023)*. नई दिल्ली: राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार.
12. Postman, N. (1994). *The Disappearance of Childhood (बचपन का लोप)*. न्यूयॉर्क: विंटेज बुक्स.
13. Shaw, C., & McKay, H. (1942). *Juvenile Delinquency and Urban Areas (शहरी क्षेत्रों में बाल अपराध)*. शिकागो: यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस.
14. Verma, S. (2011). *Juvenile Justice System in India (भारत में किशोर न्याय प्रणाली)*. नई दिल्ली: दीप एंड दीप पब्लिकेशन.
15. आहूजा राम ,सामाजिक बाधा ,रावत पब्लिकेशन ,दिल्ली 2012
16. किशोर न्याय (बच्चों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम ,2000
17. नेशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्योरों से उपलब्ध डाटा
18. भटनागर बी0 ए0 ,अधिगमकर्ता का विकाश एवं शिक्षण-अधिगम राधिका कम्पुटर्स मेरठ 2013
19. महाजन संजीव ,सामाजिक बाधा ,अर्जुन पब्लिशिंग हाउस ,न्यू दिल्ली 2010
20. मुकर्जी नाथ रवींद्र अग्रवाल भगत ,सामाजिक समस्याएं ,विवेक प्रकाशन ,दिल्ली 2003
21. वर्मा सिंह चंचल ,बालकों की भावनाओं व वियक्ति का अध्ययन कल्पज पब्लिकेशन दिल्ली 2011